2021/146

फर्द अहकाम

रामकरण बनाम छिम्मा देवी वगैरह

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर)

प्रकरण संख्या .....60...../2021 प्रा0पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

क्र. संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	15.09.2021	प्रार्थी की ओर से यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत के द्वारा मूल वाद पत्र के साथ पेश किया गया । रिपोर्ट सरिस्ता ली गई । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। वकील प्रार्थी को एक पक्षीय बहस में सुना गया । प्रार्थीगण वकील ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने हेतु निवेदन किया । हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया । मूल वाद पत्र घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा का है, अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना उचित समझते है। अतः अप्रार्थीगणो को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी तारीख पेशी तक पाबन्द किया गया जाता है कि हाल आ0ख0नं. 8753/1568 रकबा 0.31 है0 भूमि वाके ग्राम मनोहरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। यदि कोई आपत्ति हो तो न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें । तदानुसार अप्रार्थीगण को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 18-10-21 को पेश हों । सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.	
	5/10/21	आज्ञप्त पत्रावली उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अभिभाषक के माध्यम मनोहरपुर मे पेश हुई, मूलवादी द्वारा वादपत्र बिड्रो करने से खारिज होचुका है। अतः अब इस प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रहा है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर अलग से रखी। मूल वाद मे सुनवाई रहे।	314 दस्त
		सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.	

Scanned with OKEN Scanner